निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.1(188)स्था/निकाशि/76/4631 दिनांक : 18-2-11

परिपत्र

समस्त प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय
राजस्थान।

सभी प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्यालय छोडने एवं किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करें एवं निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। अपनी सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन हेतु माह जुलाई एवं जनवरी में अपना जी.ए. 141 नियमित रूप से भिजवाते रहे ।

क्र. सं.	अवकाश का प्रकाश	प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक रूप से भेजे जाने वाला विवरण/प्रपत्र
1.	आकस्मिक अवकाश का लेखा–जोखा स्वयं भी रखे	आपके अब तक कितने आकस्मिक अवकाश बकाया है प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख अवश्य करें।
2.	मुख्यालय त्यागने की अनुमति	अवकाश काल का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर व दूरभाष नम्बर
3.	अकादमी अवकाश एवं ड्यूटी लीव	▪ प्रार्थना पत्र के साथ आमंत्रण पत्र की छाया प्रति ▪ अवकाश से लौटते ही उपस्थिति प्रमाण–पत्र ▪ प्रार्थना पत्र में सत्र में पूर्व में लिये गये अकादमी अवकाश का विवरण देवें
4.	परिवर्तित अवकाश	✓ निर्धारित प्रपत्र में अवकाश प्रार्थना पत्र (जी.ए. 45) ✓ बीमारी का प्रमाण–पत्र ✓ कार्यभार देने का प्रपत्र ✓ अवकाश से लौटने पर आरोग्य प्रमाण–पत्र ✓ कार्यभार लेने का प्रपत्र।
5.	उपार्जित अवकाश/अर्द्धवेतन अवकाश	❖ निर्धारित प्रपत्र में अवकाश प्रार्थना पत्र (जी.ए. 45) ❖ कार्यभार देने का प्रपत्र ❖ अवकाश से लौटने पर कार्यभार लेने का प्रपत्र
6.	ग्रीष्मावकाश पर मुख्यालय पर रूक कर राजकार्य करने हेतु	सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करें
7.	ग्रीष्मावकाश पर मुख्यालय पर रूक कर राजकार्य करने के फलस्वरूप 92(बी) के अन्तर्गत उपार्जित अवकाश के लाभ हेतु	➢ सक्षम आदेशों की प्रति जिसके अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन अवधि में कार्य किया ➢ परिस्थितियों का विवरण, जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में कार्य किया । ➢ किये गये कार्य का आउट–पुट, अन्य स्टाफ जिन्हें भी उक्त अवधि में किसी विशेष कार्य के लिए लगाया गया हो का पूर्ण विवरण। ➢ ग्रीष्मावकाश में उपस्थित रहने के आशय की उपस्थिति पंजिका की प्रति

नोट –

1. एक बार आवेदित अवकाश का शीर्षक यथासम्भव न बदले।
2. आवश्यक विवरण एवं प्रपत्रों के अभाव में अवकाश स्वीकृति पर कोई भी कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व स्वयं प्राचार्य का होगा।
3. प्राचार्य इस पत्र की एक प्रति सदैव अपनी टेबल पर रखें तथा अवकाश के लिए आवेदन करने से पूर्व एक बार इसका अध्ययन अवश्य कर ले।
4. **बोर्ड/विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा अकादमी अवकाश हेतु बुलाने पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
5. ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय पर रूक कर राजकार्य करने के फलस्वरूप उपार्जित अवकाश के लाभ हेतु **31 जुलाई तक आवेदन–पत्र निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।**

(सुबीर कुमार)
निदेशक